प्रेस नोट दिनाँक- 20-01-2021

(1). आज दिनांक 20.01.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस कार्यालय सोनेपुर स्थित राघव प्रेक्षागार में संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये आदेश निर्देश

1. न्यायालय से निर्णित मुकदमों की समीक्षा की गयी

2. गुण्डा एक्ट/जिला बदर व गैंग्स्टर के सम्बन्ध में आदेश निर्देश दिये गये

3.आगामी पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि गावों मे निरन्तर भ्रमण करें व पुराने विवादों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

4. अराजकतत्वों का चिन्हीकरण किया जाये व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्रेशित किया गया।

5. शस्त्र जमा कराये जाने की कार्यवाही में तेजी लायें व शीघ्रता से जमा कराने की कार्यवाही की जाये।

6. समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी गावों में जाकर चुनावों के सम्बन्ध में शान्ति व्यवस्था हेतु गावों व कस्बों के लोगों से मीटिंग करें।

7. निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरणों को चिन्हित करना सुनिश्चित किया जाये व जो भी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये उनको थानों के रजिस्टरों में अंकित किया जाये

8. ला एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में सतर्कता बरती जाये।

9. समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित किया जाये।

10. जिन व्यक्तियों के पास 03 असलहे मौजूद हैं उनसे 01 असलहा जमा कराया जाये यदि सम्बन्धित व्यक्ति असलहा जमा नहीं करता है तो लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

11. अभियोजन अधिकारियों से माननीय न्यायालय में बरी हुये मुकदमों के सम्बन्ध में कारण पूछा गया तथा यह जानकारी ली गयी कि मुकदमें में वादी/गवाह गवाही देने हेतु क्यों मुकर जाते हैं व ज्यादा से ज्यादा से मुकदमों में प्रभावी कार्यवाही कर अपराधियों को सजा दिलवायी जाये।

12. निर्देशित किया गया कि खनन के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की जाये।

13. परिवहन विभाग द्वारा सीज किये गये जो वाहन थाना/चौकियों में खड़े हैं उनके निस्तारण हेतु एआरटीओ/थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये आदेश निर्देश

1. समस्त थाना/चौकी में उपलब्ध मासिक निरीक्षण रजिस्टर, मासिक सम्मेलन रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, गैंग रजिस्टर, डीजी परिपत्र गार्ड फाइल, मफरूर रजिस्टर व इनामिया अपराधी रजिस्टरों की समीक्षा की गयी, रजिस्टरों को अद्यावधिक रखने एवं अपराधियों पर कार्यवाही करने व डीजी परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. अवैध शराब निर्माण व रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया।

3. बैरियर लगाकर चैकिंग की जाये तथा 03 सवारी एवं फर्राटा भरने वालों पर अंकुश लगायें।

4. रजिस्टरों का कार्यभार उपनिरीक्षकों को क्रमवार आबन्टित किया जाये, इन्हे क्रमवार समय-समय पर बदलते रहें।

5. लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण एवं वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

6. अवैध शस्त्रों पर सख्त कार्यवाही की जाये।

7. अनावश्यक रूप से किसी भी विवेचना की सीएस/एफआर में विलम्ब न किया जाये, क्षेत्राधिकारी महोदय को उक्त कार्य व अन्य कार्यों की मानिटरिंग हेतु निर्देशित किया गया।

8. 34 पुलिस एक्ट की तहत चालान करते रहें।

9. यदि किसी थाने से कोई विवेचना अन्य थाने, अन्य जनपद या अन्य प्रान्त को स्थान्तरित की जाती है तो उसकी सूचना सीसीटीएनएस शाखा को दें व उस एफआईआर का थाना स्तर पर डिस्पोजल किया जाये जिससे लम्बित विवेचना का निस्तारण समय से हो सके।

10. आईजीआरएस एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी बताया गया कि आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की आख्या में वादी तथा प्रतिवादी का मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित किया जायें।

11. कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में डीजी महोदय व एडीजी महोदय द्वारा निर्गत परिपत्रों को बिन्दुवार पढ़कर शत प्रतिशत अनुपालन कर अमल में लाया जाने हेतु निर्देशित किया गया।
किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों व लखनऊ/दिल्ली में एकत्रित होने के सम्बन्ध में थाना स्तर पर भी अभिसूचना एकत्र कर संकलित की जाये व आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय, एडीएम चित्रकूट श्री गणेश प्रसाद, एसडीएम राजापुर श्री राहुल कश्यप, एसडीएम मानिकपुर श्री संगमलाल गुप्ता, एसडीएम सदर श्री राम प्रकाश, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव, समस्त अभियोजन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह, प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारी, प्रधान लिपिक श्री आलोक कुमार, स्टेनों श्री कमलेश कुमार राव, वाचक श्री शिवबदन सिंह, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

(2). दिनाँक 19.01.2021 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम में महोदय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकों से थाना पर लम्बित विवेचनाओं पर विस्तृत रुप से वार्ता करते हुये विवेचना लम्बित रखने का कारण पूछ कर अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायात दी गयी कि लम्बित विवेचनाओं का समय से निस्तारण करें। अर्दली रुम के दौरान महोदय द्वारा सभी हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि पिछले प्रधानी चुनाव के दौरान मारपीट एवं झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को निगरानी कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। लाइसेंसी शस्त्रों को समय से जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन सुबह मोर्निंग वाक के समय एलआईसी तिराहा से कलेक्ट्रेट के बीच मौजूद रहेंगे। अर्दली रुम के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि रात्रि में जो भी डियूटियां जायें रेडियो हैण्ट सेट साथ लेकर जाये, जिससे समय-समय पर लोकेशन ली जा सके। पीआरवी की लोकेशन रेडियो हैण्ड सेट के माध्यम से रात्रि अधिकारी द्वारा ली जायेगी।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, वाचक श्री शिवबदन सिंह, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह, चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजीत प्रताप सिंह एवं थाना कोतवाली कर्वी के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाल कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्ता श्रीमती रतना देवा पत्नी शिवाकान्त निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 शिवकुमार यादव
3. आबकारी महिला आरक्षी कविता सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव चौकी प्रभारी जिला कारागार तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 428/2020 धारा 342/363/368/376डी/504 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त दीपू बालमिकी पुत्र महेश निवासी भगीता का पुरवा थाना बामूर जनपद मुरैना म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव चौकी प्रभारी जिला कारागार
2. आरक्षी अखिलेश यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देश के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री रविप्रकाश एवं पैरोकार आरक्षी दिनेश यादव द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री जगतपाल यादव द्वारा प्रभावी प्रस्तुती एवं प्रभावी वहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायाधीश श्री सतीषचन्द्र द्विवेदी माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 63/18 धारा 354/504/506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के नामित अभियुक्त बालकेश कुशवाहा पुत्र महादेव कुशवाहा निवासी मुर्का थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास एवं 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । यह मुकदमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ को पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 20.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ तथा बस स्टैण्ड में आवारा घूम रहे लोगों को हिदायत दी गयी व कस्बा मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा कस्बा मारकुंडी में दादू भाई इंटर कॉलेज में शिकायत पेटिका खोलकर देखी गयी व कस्बा मारकुण्डी में, एण्टी रोमियो टीम प्रभारी महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहे भैरों पागा में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।